1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :- सुभाष चन्द्र, आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 21/2022

सीसीएमएस : 2022/00109

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 15 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

—वादी

बनाम

1. अमरजीत सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 15 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. बलजिन्द्र सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 15 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. कुलविन्द्र सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 15 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4. ज्ञान कौर पत्नी जंगीर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 15 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

—:प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88,91,188,92क,209 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

1. श्री ओमप्रकाश सुथार, वकील वादी
2. श्री रणवीर बिश्नोई, वकील प्रतिवादी सं. 1 से 4

—: निर्णय :—

दिनांक : 29.07.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के [illegible] जंगीर सिंह के नाम से चक 15 पीएस खाता सं. 17 मु.नं. 72 कि.नं. 18,19,22,23 निस्फ हिस्सा [illegible] हैं शेष निस्फ हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 के नाम से दर्ज है [illegible] के पिता द्वारा [illegible] गयी थी तथा परिवार में सद्भाव बना रहे के कारण [illegible] 4 के नाम से दर्ज करवायी गयी। इसी चक के खाता सं. 26 के मु.नं. 3 व मु.नं. 72 की कुल [illegible]है. नहरी, 0.379है. बारानी व खाला 0.075है. में से भी वादी के पिता के नाम से 2.771है. खातेदारी दर्ज हैं तथा इस खाते में भी प्रतिवादी सं. 4 के नाम से 0.506है. हैं भूमि खरीदकर बनाई हुई है। वादी द्वारा परिवारिक समझोता के आधार पर उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:14:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

विवादित भूमि में से वादी को 6 बीघा 10 बीस्वा का खातेदार घोषित कर स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित करने का वाद पेश किया गया है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिए अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं 1 से 4 की ओर से जवाब दावा काउंटर क्लेम पेश हुआ। प्रतिवादीगण जवाब दावा काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वाद 15 पीएस के खाता सं. 27 व 26 से संबंधित हैं। सहकाश्तकारान को आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद प्रतिवादी संस्थित नहीं किया गया है. वाद पत्र काबिले खारिजी हैं। वादी ने स्वयं कथन किया हैं कि प्रति. सं. 4 ज्ञान कौर के नाम से दोनों खातों में कुल 4 बीघा भूमि हैं जो ज्ञान कौर की स्वअर्जित सम्पत्ति हैं। जिसे प्रतिवादीया स्वयं के विवेक अनुसार उपयोग, उपभोग, रहिन एवं विक्रय करने की अधिकारिणी हैं। वादग्रस्त भूमि खाता सं. 26 में स्थित 2.771है. अथार्त 10 बीघा 19 बिस्वा रकबा एवं खाता सं. 17 में दर्ज कुल 4 बीघा कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा जंगीर सिंह के नाम से दर्ज है, इस प्रकार वादग्रस्त रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा जंगीर सिंह के नाम से दर्ज हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनके कानूनी एवं विधिक वारिस वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 है, इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादी स्वयं उक्त भूमि को हिन्दू परिवार की अविभाजित सहदायिक सम्पत्ति स्वीकार करता है, इसलिए जंगीर सिंह की 12 बीघा 19 बीस्वा भूमि में प्रतिवादीगण प्रत्येक 1/5 हिस्सा घोषित करवाकर भूमि की किस्म अनुसार खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं। वाद पत्र आधारहीन होने के कारण अस्वीकार फरमाने एवं काउंटर क्लेम अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में भूमि धारक होने के कारण प्रतिवादी को पक्षकार बनाया गया हैं। वादी द्वारा राज्य से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। प्रकरण के राज्य हित प्रभावित नहीं होता हैं।

प्रकरण में पक्षकारान द्वारा दिनांक 29.07.2022 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया है। [illegible] कर निवेदन किया हैं कि "वादी एवं प्रतिवादीगण का लोक अदालत [illegible] राजीनामा हो गया हैं तथा विवादित भूमि का बंटवारा पक्षकारान ने निम्न [illegible] किया हैं –

1. वादी भूपेन्द्र सिंह :– 15 पीएस खाता सं. 44 में 0.692है. नहरी बारानी मय खाला तथा खाता सं. 45 में 0.253है. नहरी
2. प्रतिवादी सं. 1 अमरजीत सिंह :– 15 पीएस खाता सं. 44 में 0.693है. नहरी बारानी मय खाला तथा खाता सं. 45 में 0.253है. नहरी

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:14:00 IST
Reason: SelfAttested

3 प्रतिवादी सं. 2 **बलजिन्द्र सिंह** :– 15 पीएस खाता सं 44 में 0.693है नहरी बारानी मय खाला तथा खाता सं 45 में 0.253है नहरी

4 प्रतिवादी सं. 3 **कुलविन्द्र सिंह** :– 15 पीएस खाता सं 44 में 0.693है नहरी बारानी मय खाला तथा खाता सं 45 में 0.253है नहरी

5 प्रतिवादी सं. 4 **ज्ञान कौर** :– 15 पीएस खाता सं 44 में 0.506है नहरी बारानी मय खाला

मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार राजस्व को लिखने हेतु निवेदन किया।"

वकील पक्षकारान के निवेदन करने पर बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील उभयपक्ष राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि चक 15 पीएस के खाता सं. 45/27 में दर्ज मु.नं. 72 कि.नं. 18,19,22,23 प्रत्येक 0.253है. कुल 1.012है. नहरी भूमि जंगीर सिंह पुत्र रतन सिंह एवं ज्ञान कौर पत्नी जंगीर सिंह प्रत्येक 1/2 हिस्सा जाति कम्बो सिख सा. देह खातेदार दर्ज है। एवं खाता सं. 44/26 में दर्ज मु.नं. 72 एवं 3 की कुल 7.553 बारानी नहरी मय खाला भूमि संयुक्त खाता में दर्ज हैं, जिसमें से जंगीर सिंह पुत्र रतन सिंह 2771/7553 हिस्सा एवं ज्ञान कौर पत्नी जंगीर सिंह 506/7553 हिस्सा जाति कम्बोसिख निवासी 14 पीएस ए खातेदार दर्ज हैं। संयुक्त खाता सं. 44 के अन्य सहकाश्तकारान से कोई अनुतोष वादी द्वारा नहीं चाहा गया हैं, वादी द्वारा प्रति. सं. 4 एवं जंगीर सिंह के नाम से दर्ज भूमि में से ही अपने अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिसका आपसी सहमति से समझौता हो चुका हैं, तथा इसी अनुसार पारिवारिक समझौता अनुसार वाद डिक्री करवाना चाहते हैं। अतः राजीनामा आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जाना न्यायाचित हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादी काउंटरक्लेम प्रतिवादीगण राजीनामा आधार पर स्वीकार किया जाकर वाद पत्र राजीनामा की रूह से निम्न प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि –

"विवादित भूमि चक 15 पीएस के खाता सं. 45/27 में दर्ज मु.नं. [illegible] 18,19,22,23 प्रत्येक 0.253है. कुल 1.012है. नहरी भूमि जंगीर [illegible] सिंह एवं ज्ञान कौर पत्नी जंगीर सिंह प्रत्येक 1/2 हिस्सा भूमि तथा इसी चक के संयुक्त खाता सं. 44/26 में दर्ज मु.नं. 72 एवं 3 की कुल 7.553 बारानी नहरी मय खाला भूमि में से जंगीर सिंह पुत्र रतन सिंह 2771/7553 हिस्सा एवं ज्ञान कौर पत्नी जंगीर सिंह 506/7553 हिस्सा भूमि का पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा आधार पर पक्षकारान को अद्योलिखित अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है –

Signature Not Verified
Digitally signed by Subha
Chandra
Date: 2022.10.28 11:14:0
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिंहनगर

1. वादी भूपेन्द्र सिंह :– 15 पीएस खाता सं 44 में 0.692है. नहरी बारानी मय खाला तथा खाता सं 45 में 0.253है. नहरी भूमि खातेदार
2. प्रतिवादी सं. 1 अमरजीत सिंह :– 15 पीएस खाता सं 44 में 0.693है. नहरी बारानी मय खाला तथा खाता सं 45 में 0.253है. नहरी भूमि खातेदार
3. प्रतिवादी सं. 2 बलजिन्द्र सिंह :– 15 पीएस खाता सं. 44 में 0.693है. नहरी बारानी मय खाला तथा खाता सं. 45 में 0.253है. नहरी भूमि खातेदार
4. प्रतिवादी सं. 3 कुलविन्द्र सिंह :– 15 पीएस खाता सं. 44 में 0.693है. नहरी बारानी मय खाला तथा खाता सं. 45 में 0.253है. नहरी भूमि खातेदार
5. प्रतिवादी सं. 4 ज्ञान कौर :– 15 पीएस खाता सं. 44 में 0.506है. नहरी बारानी मय खाला भूमि खातेदार

संयुक्त खाता सं. 44 में अन्य खातेदारान का अंकन यथावत रहेगा। भूमि की प्रकृति / किस्म (सिंचित, असिंचित, गै.मु. इत्यादि) परिवर्तित नहीं की जाएगी।

इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:14:00 IST
Reason: SelfAttested